संख्य -55/1159/52-3-14-सा(9)/14

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,

सचिव

उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

समस्त मण्डलीय अपर निदेशक,

□□□□□ □0प्र0□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग -3, लखनऊः दिनांक 23□□□, 2014

विषयः- राज्य सहायता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों के सेवा निवृत्त शिक्षकों/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन का, □□जकीय पेंशनरों की भांति राजकीय कोषागार से भुगतान की व्यवस्था लागू किया जाना।

□□□□,

राज्य सहायता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों के सेवा निवृत्त शिक्षकों/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन का सही एवं समय से भुगतान सुनिश्चित करने हेतु राज्य कर्मचारियों □□□□0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद के कर्मचारियों की भांति राजकीय कोषागार से पेंशन भुगतान की व्यवस्था को लागू करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया।

इस क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सहायता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों के सेवा निवृत्त शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान में आ रही कठिनाईयों के निराकरण के उददेश्य से श्री राज्यपाल महोदय सम्मयक विचारोपरान्त यह आदेश प्रदान करते है कि उक्त कार्मिकों की पेंशनादि का राजकीय कोषागार से भुगतान निम्नवत् निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायः-

(1) प्रदेश के राज्य सहायता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों में कार्यरत समस्त कार्मिकों को राजकीय कोषागार से पेंशन की प्रक्रिया वही होगी जो राज्य कर्मचारियों को पेंशन भुगतान अनुमन्य है।

(2) राज्य सहायता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों में कार्यरत समस्त कार्मिकों को प्राप्त समस्त प्रकार की पेंशन कोटियो पर यह व्यवस्था लागू होगी यथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, अधिवर्षता, पारिवारिक पेंशन आदि।

(3) पेंशनादि के भुगतान के संबंध में उन सभी औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित की जायेगी जो सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों को पेंशन भुगतान के लिए निर्धारित है। राज्य सरकार के पेंशनरों के लिए निर्धारित प्रपत्र ही प्रयोग में लाये जायेगें।

(4) पेंशन स्वीकृत किये जाने की प्रक्रिया में कोषागार से पेंशन भुगतान के लिए पेंशन प्राधिकार पत्र मण्डलीय □□ □□□□□, कोषागार एवं पेंशन के द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद निर्धारित प्रारूप/विवरणों के अनुसार जारी किया जायेगा।

http://bhasanideshup.nic.in

(5) राज्य सहायता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों में कार्यरत शिक्षकों/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय कोषागार से पेंशन की प्रक्रिया के संबंध में उपबन्ध निम्नवत् होगं:-

(□) दिनांक 30 नवम्बर, 2014 तक अथवा पूर्व में सेवानिवृत्त कार्मिकों की पेंशन निर्धारण की प्रक्रिया पूर्व की भांति रहेगी। इन पेंशनरों/ पारिवारिक पेंशनरों की दिसम्बर, 2014 की पेंशन का वितरण 01 जनवरी, 2015 से जिला कोषागार से किया □□□□

(□) राज्य सहायता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के समस्त प्रपत्र निर्धारित प्रारूप में भरवाकर सत्यापन के उपरान्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा के माध्यम से दिनांक 15 सितम्बर, 2014 □□ जिला कोषागार को उपलब्ध करायें जायेगें। प्रपत्रों को भरवाने तथा उनमें दिये गये विवरण का सत्यापन का दायित्व अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का होगा। जिला कोषागार द्वार समस्त सूचना दिनांक 31 अक्टूबर, 2014 तक पेंशन वितरण साफ्टवेयर में फीडिंग करने का कार्य किया जायेगा। दिनांक 01 नवम्बर, 2014 से दिनांक 15 नवम्बर, 2014 तक फीड की गयी समस्त सूचना का संयुक्त मिलान कोषाधिकारी एवं वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा द्वारा किया जायेगा। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा ऐसे समस्त पेंशनरों की पत्रावलियां दिनांक 14 □गस्त, 2014 □□ (सेवापंजिका, पूर्व में जारी पी0पी0□0 इत्यादि के □□) वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा विभाग को उपलब्ध करा दी जायेंगी। 30 □□, 2014 □□30 नवम्बर, 2014 तक जो कार्मिक सेवानिवृत्त होगें उनकें प्रपत्र सेवानिवृत्ति के 15 दिनों के अन्दर जिला कोषागार को भेजा जाना अनिवार्य होगा। ऐसे समस्त पेंशनरों के मूल अभिलेख दिनांक 30 नवम्बर, 2014 तक जिला कोषागार को स्थानान्तरित कर दिये जायेगें। इस प्रकार के पेंशनरों के समस्त उपादान, राशिकरण एवं अन्य किसी भी प्रकार के बकायों का भुगतान पूर्व की भांति किया जायेगा।

(□) कोषागार से पेंशन प्रक्रिया लागू होने के उपरान्त समस्त पेंशनर अपने जीवित होने प्रमाण पत्र सरकारी पेंशनर की भांति वर्ष में एक बार नवम्बर अथवा दिसम्बर माह में जिला कोषागार में जमा करायेगें।

(□) दिनांक 30.11.2014 के उपरान्त सेवानिवृत्त राज्य सहायता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों के कार्मिकों की पेंशन निर्धारण में राज्य कर्मचारियों की पेंशन प्रेक्रिया की भांति पेंशन प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। इस प्रक्रिया द्वारा पेंशनरों को समस्त प्रकार की पेंशन उ□□□□ □□□ स्वीकृत होने की दशा में राशिकरण का भुगतान जिला कोषागार से किया जायेगा। राज्य सहायता प्राप्त मदरसों के समस्त कार्मिकों की अधिवर्षता आयु पूर्ण होने पर अथवा सेवारत रहते हुये मृत्यु की दशा में पेंशन प्रपत्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों अथवा नामित उत्तराधिकारी द्वारा भरवाकर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सीधे वित्त एवं लेखाधिकार, □□□ शिक्षा को प्रेषित करेगें। परीक्षणोपरान्त वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा पेंशन स्वीकृति की संस्तुति की कार्यवाही के साथ पत्रावली संबंधित मण्डल के अपर निदेशक, □□□□□ □□□ पेंशन को सेवानिवृत्त के 05 माह पूर्व प्रत्येक दशा में प्रेषित की जायेगी। पेंशन संबंधी समस्त

प्रक्रिया सेवानिवृत्त से 06 माह पूर्व अथवा कार्मिक की मृत्यु की दशा में तत्काल आरम्भ की जायेगी। पेंशन की प्रक्रिया में पेंशन प्रस्तुतीकरण नियमावली- 1995 का अनुपालन किया □□□□

(6) संबंधित कोषागार सामान्य प्रक्रियानुसार पेंशन का भुगतान निम्नवत् करेगें□:-

□□□□ □0-62 के लेखाशीर्षक -

2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ

01-सिविल

109-राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों को पेंशन

113-राज्य सहायता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों के कार्मिकों की पेंशन

1301-दिनांक 08.11.2000 तक सेवानिवृत्त शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को सेवानिवृत्तिक सुविधायें

1302-पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ

02-दिनांक 8.11.2000 के पश्चात सेवानिवृत्त शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को सेवानिवृत्तिक सुविधायें

33-पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ

(7) राज्य सहायता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों में कार्यरत शिक्षकों/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पेंशन हेतु वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय द्वारा एक अलग "कैटेगरी कोड" आवंटित किया जा□□□ □□□ तद्नुसार कोषागार निर्धारित प्रपत्र पर वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय को सूचना भेजेगें।

(8) कोषागार में पेंशनर डाटाबेस बनाने हेतु प्रति पेंशनर रू0 20/- का भुगतान देय होगा। जिसे मदरसा शिक्षा परिषद अनुरक्षण मद से कोषाधिकारी को अगस्त माह में मूल पेंश पत्रावलियो के □□-साथ अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेगें, ताकि डाटा फीडिंग का कार्य सुचारू रूप से समयानुसार सम्पन्न हो सकें।

(9) वित्त एवं लेखाधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के निदर्शन हस्ताक्षर भी मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जाना निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा, ताकि मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन कागजात की प्रमाणिकता के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर सकें।

(10) राज्य सहायता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों में कार्यरत समस्त कार्मिकों एवं पेंशनरों को वह सभी सेवानिवृत्तक लाभ अनुमन्य होगें जो राज्य सरकार सम -□□□ □□ □0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद के समस्त कार्मिकों एवं पेंशनरों को स्वीकृत करेगी।

(11) पेंशन भुगतान या अन्यत्र पेंशन भुगतान हेतु स्थानान्तरण (एक जिले के कोषागार से दूसरे जिले के कोषागार में अथवा राज्य के बाहर के कोषागार □) की प्रक्रिया वही होगी जो कोषागार में अन्य पेंशनरों हेतु लागू है

(12) अन्य उपबन्धों एवं प्रक्रिया के संबंध में राज्य कर्मचारियों के पेंशन संबंधी समस्त उपबन्ध प्रक्रिया तथा नियमों का अनुसरण किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(13) □□□□□, पेंशन उ0प्र0 उपरोक्त पेंशनरों के नोडल अधिकारी भी होगें एवं वह इस प्रक्रिया को लागू करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेगें और इस संबंध में अपने सुझावों से शासन एवं संबंधित विभाग को समय-समय पर अवगत करायेगें तथा आवश्यकतानुसार अल्पसंख्यक कल्याण के अधिकारियों के साथ समन्वय एवं सहयोग करेगें।

2 यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय 0-□-11-898/□□-14, दिनांक 18 □□□, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

3 उपरोक्त विषय के संबंध में पूर्व में निर्गत समस्त निर्देश/अनुदेश इस शासनादेश में वर्णित उपबन्धों की सीमा तक संशोधित समझे जायेगें।

समस्त अनुदेशों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)

□□□□□

संख्य -1159(1)/52-3-14तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 □□□□□, अल्पसंख्यक कल्याण □0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ पे्रषित कि वह इस शासनादेश के क्रियान्वयन एवं समयबद्ध ढ़ंग से लागू करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करें।

2 □□□□□, □□□□□□ □0प्र0 □□□□□ □□□, □□□□□

3 □□□□□, पेंशन उत्तर प्रदेश को इस आशय से पे्रषित कि वह निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

4 □□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय □0प्र0 □□□□□□□□

5 वित्त नियंत्रक, □0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इ□□□□□□□

6 □□□□□, वित्तीय सं◌ाख्यकी निदेशालय उ0प्र0 □□□□□

7 समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0□

8 समस्त मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी, □0प्र0□

9 □□□□□□□□□□/स्टेट इन्फार्मेटिक आफिस , राष्ट्रीय सूचना विज्ञान के , □□□□ □□□, □□□□□

10 समस्त मण्डलीय अल्पसंख्यक कल्याण अधि , □0प्र0□

11 समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0□

12 वित्त(□□-व्ययक) □□□□□-1/वित्त (सामान्य)□□□□□-3/वित्त (□□□) □□□□□-1 वित्त(व्यय-नियंत्रक) □□□□□-6

13 गार्ड फाइल।

आज्ञा स◌ं,

(राकेश कुमार मिश्र)

संयुक्त सचिव

http://shikshanidesh.up.nic.in